

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018—आश्विन 6, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-3-2-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, सुन्नी करुणा त्रिवेदी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग उज्जैन में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.